प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह रिपोर्ट संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करता हैं।

इस रिपोर्ट में वे प्रमाण वर्णित हैं जो 2014-15 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये थे तथा वे भी, जो पिछले वर्षों में देखे गये थे, किन्तु पिछली रिपोर्टों में शामिल नहीं किए जा सके; 2014-15 के बाद के मामले भी, जहां उचित थे, शामिल किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप की गई है।